न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/154

1. गुड्डी देवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण जी जाति मीणा निवासी ग्राम पटोलिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. दिक्षा पुत्री सत्यनारायण जाति मीणा नाबालिग ।
3. ईशांत पुत्र सत्यनारायण जाति मीणा नाबालिग जरिय वली माता गुड्डी देवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण जी जाति मीणा निवासी ग्राम पटोलिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. पन्ना लाल आत्मज श्री मोडू जी जाति मीणा निवासी ग्राम पटोलिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. रूपनारायण आत्मज श्री पन्ना लाल जाति मीणा निवासी ग्राम पटोलिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. दीपा पुत्री सत्यनारायण जी नाबालिग जरिये वली दादा पन्ना लाल आत्मज श्री मोडू लाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम पटोलिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. मनमोहन पुत्र सत्यनारायण जी जाति मीणा नाबालिग जरिये वली दादा पन्ना लाल आत्मज श्री मोडूलाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम पटोलिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 23.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम के0 पाटन की आराजी खसरा नम्बर 1262/1 की रकबा 0.49 हैक्टर एवं ग्राम पटोलिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 149 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.60 हैक्टर के सम्बन्ध

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वर्तमान में पन्नालाल अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज है । उक्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/3 हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उक्त आराजी को दौराने वाद रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा रहन, बेचान एंव अन्य किसी प्रकार से अन्तरण या खुर्द–बुर्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

3. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम के0 पाटन में आराजी खसरा नम्बर 1262/1 की रकबा 0.49 हैक्टर एवं ग्राम पटोलिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 149 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.60 हैक्टर आराजी में प्रतिवादी क्रम 1व 2 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण क्रम 3 व 4 के 1/3 हिस्से आराजी में काश्त करने में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाए तथा प्रतिवादीगण दौराने वाद उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण आदि नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2016 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त वादग्रस्त आराजी पन्ना लाल को अपने स्व0 पिता मोडूलाल जी से हक विरासत में प्राप्त हुई है उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 को जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है । पन्नालाल के दो पुत्र सत्यनारायण व रूपनारायण हैं । उक्त आराजी में पन्ना लाल को 1/3, सत्यनारायण का 1/3, तथा रूपनारायण का 1/3 हिस्सा निहित है । सत्यनारायण का स्वर्गवास हो चुका है । वादीगण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3 व 4 पत्नी पुत्र व पुत्री होने से स्व0 सत्यनारायण के 1/3 हिस्से के हकदार है तथा उक्तानुसार भूमि के मालिक काबिज हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को पैतृक भूमि नहीं मानकर त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के मदन में बदनियति आ ही है वह सम्पूर्ण भूमि को स्वयं काश्त करना चाहता हैं तथा भूमि को खुर्द –बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने खुर्द–बुर्द रहन, बेचान कर दिया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का कब्जा काश्त है । उक्त भूमि से प्रार्थीगण अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का कब्जा है और कब्जेधारी व्यक्ति को अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में उसके कब्जे से बेदखल नहीं करना चाहिए ।

10. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 का कब्जा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में होना साबित नहीं है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.01.2016 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा